

न्यायालय नायब तहसीलदार राऊ, जिला इंदौर, (म0प्र0)

R.C.M.S. - 0229/अ-6/2020-21

1. श्री लक्ष्मण पिता श्री विशनदास जी सचदेव
2. श्रीमति मनीषा पति श्री लक्ष्मण सचदेव
दोनों निवासी- 23 वीर सावरकर नगर इंदौर
3. श्री सुनील सचदेव पिता श्री विशनदास जी सचदेव
4. श्रीमति ऐनी सचदेव पति श्री सुनील सचदेव
निवासी - 76, बैराठी कॉलोनी इंदौर

..... अनावेदक / द्वितीयपक्ष

विरुद्ध

1. श्री रतिकांत पिता श्री मिलनचंदजी मण्डल
2. श्री उत्तम मण्डल पित श्री रतिकांत मण्डल
3. कुमारी सुमिता पित श्री रतिकांत मण्डल
निवासी एन- 48, साकेत नगर, इंदौर
4. श्रीमति मधुमिता यादव पति श्री महेन्द्र कुमार यादव
निवासी- 76, बैराठी कॉलोनी, इंदौर

..... अनावेदक / प्रथमपक्ष

---::: आदेश :::---

(पारित दिनांक 7 / 10 / 2020)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक श्री लक्ष्मण पिता श्री विशनदास जी सचदेव, श्रीमति मनीषा पति श्री लक्ष्मण सचदेव दोनों निवासी- 23 वीर सावरकर नगर इंदौर, श्री सुनील सचदेव पिता श्री विशनदास जी सचदेव श्रीमति ऐनी सचदेव पति श्री सुनील सचदेव निवासी - 76, बैराठी कॉलोनी इंदौर के द्वारा म.प्र. भू-राजस्व की धारा 1959 की धारा 109-110 के तहत रजिस्टर्ड विनिमय पत्र क्रमांक एमपी 179092020ए1387823 दिनांक 13.07.2020 के आधार पर ग्राम भैंसलाय स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 21/मिन-1, 22/1/2/मिन-1 रकबा क्रमशः 0.056, 0.216 हे. कुल रकबा 0.272 हे. भूमि प्राप्त करने के पश्चात राजस्व अभिलेख में नामांतरण किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। आवेदक द्वारा अपने आवेदन पत्र के समर्थन में शपथ पत्र, खसरा, बी-1, एवं विनिमय पत्र की प्रतिलिपियां प्रस्तुत की गई है।

02. प्रकरण दर्ज कर विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया। मियाद अवधि कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।
03. प्रकरण में हल्का पटवारी से प्रतिवेदन तलब किया गया। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया कि ग्राम भैंसलाय स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 21/मिन-1, 22/1/2/मिन-1 रकबा क्रमशः 0.056, 0.216 हे. कुल रकबा 0.272 हे. भूमि वर्तमान में श्री रतिकांत पिता श्री मिलनचंदजी मण्डल, श्री उत्तम मण्डल पित श्री रतिकांत मण्डल, कुमारी सुमिता पित श्री रतिकांत मण्डल, निवासी एन- 48, साकेत नगर, इंदौर, श्रीमति मधुमिता यादव पति श्री महेन्द्र कुमार यादव, निवासी- 76, बैराठी कॉलोनी, इंदौर के नाम से वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज है। वर्तमान प्रश्नाधीन भूमि सिंचित होकर कृषि उपयोग की भूमि है। मौके पर रिक्त पड़ी है।
04. प्रकरण में आवेदक द्वारा अनावेदक/विनिमयकर्ता का शपथ पत्र प्रस्तुत किया। जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि हमारे स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि ग्राम भैंसलाय स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 21/मिन-1, 22/1/2/मिन-1 रकबा क्रमशः 0.056, 0.216 हे. कुल रकबा 0.272 हे. भूमि


नायब तहसीलदार राऊ
तहसील-इन्दौर

वर्तमान राजस्व रिकार्ड में हमारे नाम पर दर्ज है। उपरोक्त भूमि का विनिमय आवेदक (द्वितीयपक्ष) को रजिस्टर्ड विनिमय पत्र द्वारा किया गया है। अतः उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड से हमारा नाम कम किया जाता है तो इसमें हमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होकर पूर्ण सहमति है।

05. संपूर्ण प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन उपरांत पाया गया कि आवेदक श्री लक्ष्मण पिता श्री विशनदास जी सचदेव, श्रीमति मनीषा पति श्री लक्ष्मण सचदेव दोनों निवासी- 23 वीर सावरकर नगर इंदौर, श्री सुनील सचदेव पिता श्री विशनदास जी सचदेव श्रीमति ऐनी सचदेव पति श्री सुनील सचदेव निवासी - 76, बैराठी कॉलोनी इंदौर को ग्राम भैंसलाय स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 21/मिन-1, 22/1/2/मिन-1 रकबा क्रमशः 0.056, 0.216 हे. कुल रकबा 0.272 हे. भूमि आवेदक को अनावेदक (प्रथमपक्ष) से प्राप्त हुई है। आवेदित भूमि का नामांतरण किए जाने में किसी संस्था अथवा व्यक्ति को कोई आपत्ति नहीं है। अनावेदक/प्रथमपक्ष द्वारा नामांतरण किए जाने हेतु सहमति प्रदान की गई है।

नामांतरण का उद्देश्य अभिलेख को अद्यतन रखना है। नामांतरण किसी प्रकार का हक प्रदान नहीं करता है अपितु यह विधि के अनुसार अर्जित हक को मान्यता देता है (सुखदेव कॉटन प्रेस वि० म.प्र. स्टेट 1998), (आरएन 100 व बाला वि. प्रेमनारायण 1998 आरएन 231)

06. प्रकरण के सम्बन्ध में समग्रता से विचार किये जाने के उपरांत मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ, कि आवेदक अपना आवेदन पत्र सिद्ध करने में सफल रहा है। निष्कर्षतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत नामांतरण सम्बन्धी आवेदन पत्र स्वीकृत किया जाता है। आवेदित कि राजस्व ग्राम भैंसलाय स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 21/मिन-1, 22/1/2/मिन-1 रकबा क्रमशः 0.056, 0.216 हे. कुल रकबा 0.272 हे. भूमि से अनावेदक/प्रथमपक्ष श्री रतिकांत पिता श्री मिलनचंदजी मण्डल, श्री उत्तम मण्डल पित श्री रतिकांत मण्डल, कुमारी सुमिता पित श्री रतिकांत मण्डल, निवासी एन- 48, साकेत नगर, इंदौर, श्रीमति मधुमिता यादव पति श्री महेन्द्र कुमार यादव, निवासी- 76, बैराठी कॉलोनी, इंदौर का नाम कम कर आवेदक श्री लक्ष्मण पिता श्री विशनदास जी सचदेव, श्रीमति मनीषा पति श्री लक्ष्मण सचदेव दोनों निवासी- 23 वीर सावरकर नगर इंदौर, श्री सुनील सचदेव पिता श्री विशनदास जी सचदेव श्रीमति ऐनी सचदेव पति श्री सुनील सचदेव निवासी - 76, बैराठी कॉलोनी इंदौर का नाम दर्ज किए जाने का आदेश पारित किया जाता है। पटवारी स्वीकृत नामांतरण आदेशानुसार राजस्व अभिलेख में अमल कर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे।


 नत्तयन्न रत्तहसीलवारराऊ
 तहसील-सऊर
 7.10.2020

प्रतिलिपि-

हल्का पटवारी की ओर प्रेषित कर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व अभिलेख में अमल करें।